2

सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

# राज्य सभा - भारतीय राज व्यवस्था में इसका योगदान

भारतीय संसद, राज्य सभा
PARLIAMENT OF INDIA, RAJYA SABHA

## "इस शृंखला की पुस्तकें"

1. सूचना-एक नज़र में
2. राज्य सभा - भारतीय राज व्यवस्था में इसका योगदान
3. विधि निर्माण प्रक्रिया
4. राज्य सभा में समिति प्रणाली
5. संसदीय विशेषाधिकार
6. सदस्य द्वारा करने और न करने योग्य बातें
7. सभा के नेता, विपक्ष के नेता और सचेतकों की भूमिका
8. कार्यपालिका - संसद के प्रति इसका उत्तरदायित्व
9. विधि निर्माताओं के लिए सूचना प्रबन्धन
10. प्रभावी विधायक कैसे बनें

2

सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

# राज्य सभा-भारतीय राज व्यवस्था में इसका योगदान

भारतीय संसद, राज्य सभा
PARLIAMENT OF INDIA, RAJYA SABHA

© राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

वेबसाइट : http://parliamentofindia.nic.in
: http://rajyasabha.nic.in

ई-मेल : rsrlib@sansad.nic.in

# आमुख

यह पुस्तिका राज्य सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों की सुविधा के लिए प्रकाशित की गई पुस्तिकाओं की शृंखला का एक भाग है। इसमें राज्य सभा के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न पहलू और भारतीय राज-व्यवस्था में इसके योगदान से संबंधित संक्षिप्त सूचना निहित है। सम्पूर्ण सूचना के लिए मूल स्रोतों का संदर्भ लिया जा सकता है।

इस पुस्तिका का प्रयोजन तत्काल संदर्भ के लिए एक सुविधाजनक मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाना है। मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तिका सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

नई दिल्ली
जुलाई, 2020

**देश दीपक वर्मा**
**महासचिव**

# विषय-सूची


पृष्ठ

1. प्रस्तावना ..... 1–3
2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ..... 4–6
3. राज्य सभा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान ..... 7–10
4. राज्य सभा की भूमिका
   - (i) राज्य सभा – एक विधायी निकाय के रूप में ..... 11–18
   - (ii) कार्यपालिका के कार्य की संवीक्षा करने अथवा लोक शिकायतों को अभिव्यक्ति देने में राज्य सभा की भूमिका ..... 18–21
   - (iii) राज्य सभा – विचार-विमर्श करने वाले सदन के रूप में ..... 21
   - (iv) राज्य सभा – संघीय सदन के रूप में ..... 21–23
5. राज्य सभा के सभापति तथा कुछ अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति ..... 24–27
6. दोनों सदनों के बीच संबंध ..... 28
7. समापन टिप्पणियां ..... 29
8. चुनिंदा संदर्भ-ग्रंथ सूची ..... 30–31

# प्रस्तावना

संसद के दूसरे सदन के अस्तित्व का प्रयोजन तथा राज-निकाय में इसका दर्जा और इसकी भूमिका हमेशा जीवंत और जोरदार वाद-विवाद का एक विषय रहा है। विधान-मंडल के दूसरे सदन की आवश्यकता का मामला राजनैतिक पंडितों तथा संविधान विशेषज्ञों के लिए एक वाद-विवाद का मुद्दा रहा है। संविधान-निर्माण के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां महान राजनेताओं, लेखकों तथा चिंतकों ने दूसरे सदन की उपयोगिता के संबंध में भिन्न-भिन्न विचार और राय व्यक्त की हैं इनमें से कुछ ने यह तर्क दिया है कि दूसरा सदन अलोकतांत्रिक है और यह आम लोगों द्वारा निर्वाचित लोक सभा के माध्यम से मुखर रूप से व्यक्त की गई लोगों की इच्छा का दमन करता है; जबकि कुछ अन्य महानुभावों ने ऐसे सदन की आवश्यकता पर बल दिया है क्योंकि उनके मतानुसार अन्य कारणों के साथ-साथ यह द्वितीय सदन एक सदन वाले विधान-मंडल की निरंकुशता के विरुद्ध एक सशक्त रक्षोपाय है। उदाहरणार्थ, एक ओर फ्रांस के एक महान संविधान विशेषज्ञ ऐब सीयस हैं जिन्होंने दूसरे सदन की अवधारणा को अपनी सर्वविदित तथा अक्सर उद्धृत की जाने वाली एक टिप्पणी से पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया: ''यदि दूसरा सदन पहले सदन से असहमत होता है तो यह एक शरारतपूर्ण बात है; यदि यह सहमत होता है तो यह एक अनावश्यक-सी बात है''; दूसरी ओर, सर हेनरी मैन हैं जिनका तर्क है कि किसी भी प्रकार के दूसरे सदन का होना ऐसे सदन के न होने से बेहतर है।

जार्ज वाशिंगटन के लिए दूसरे सदन का कार्य विधायी-तंत्र में एक नियंत्रक के रूप में कार्य करना था जिसका प्रमाण उनके जीवन की एक सर्वविदित घटना से मिलता है। एक दिन थॉमस जेफरसन नाश्ते की मेज पर जार्ज वाशिंगटन से विधान-मंडल में दो सदनों की स्थापना के संबंध में विरोध

प्रकट कर रहे थे। वाशिंगटन ने उनसे पूछा कि ''आप कॉफी को अपनी प्लेट में क्यों डालते हैं?'' जेफरसन ने उत्तर दिया, ''ठंडा करने के लिए''। वाशिंगटन ने कहा, ''इसी प्रकार हम विधान को सीनेट रूपी प्लेट में इसे ठंडा करने हेतु डालते हैं।''

इस प्रकार, दूसरे सदन के पक्ष या विरोध में कई विद्वानों को उद्धृत किया जा सकता है। दूसरे सदन के गुणावगुणों का विषय या दूसरे सदन के प्रतिधारकों या उन्मूलन-वादियों के बीच का विवाद बहुत पुराना है और यह विवाद समय-समय पर पुनः उठ खड़ा होता है। हालांकि, दूसरे सदन की भूमिका तथा उपयोगिता के बारे में वाद-विवाद चल रहा है, लेकिन सच यह है कि अधिकांश आधुनिक देशों ने विधान-मंडल की द्विसदनीय पद्धति अपना ली है। ऐसे कुल 79 देश हैं। जहां द्विसदनीय संसद/विधान-मंडल हैं और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन (आईपीयू) के अनुसार विश्व संसदों का यह 40.93 प्रतिशत हैं।

केंद्र में द्वितीय सदन की आवश्यकता संबंधी विचार-विमर्श के दौरान संविधान सभा में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए थे। द्वितीय सदन के पक्ष में निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया गया:-

(i) किसी ऐसे विधान पर गंभीर रूप से विचार और पुनर्विचार करने की आवश्यकता है जो क्षणिक प्रकृति के राजनैतिक भावावेश या लोकप्रिय सदन में बहुमत की निरंकुशता का परिणाम हो। उच्च सदन जल्दबाजी में और गलत परिकल्पना के आधार पर निर्मित किए गए विधान पर नियंत्रण रखने का काम करता है।

(ii) द्वितीय सदन किसी मामले की अपेक्षाकृत अधिक शांत वातावरण में अधिक सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है जो कि पहले सदन में संभव नहीं होता है।

(iii) द्वितीय सदन लोक हित के ऐसे व्यापक विषयों पर वाद-विवाद कर सकता है जो कि अन्यथा निम्न सदन में वहां बहुत अधिक विधायी और वित्तीय कार्य होने के कारण कर पाना संभव न हो।

(iv) उच्च सदन का उपयोग उन हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले मंच के रूप में किया जा सकता है जिन्हें लोकप्रिय सदन में प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

(v) देश अपने श्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को दूसरे सदन में भेजकर उनकी सेवाएं प्राप्त कर सकता है क्योंकि ऐसे विद्वान सामान्यता राजनीतिक शोर-शराबे वाले अव्यवस्थित वातावरण से दूर रहना चाहते हैं।

(vi) द्विसदनीय विधान-मंडल की आवश्यकता व्यावहारिक रूप से संपूर्ण विश्व में ऐसे सभी स्थानों में महसूस की जाती है जहां कहीं भी महत्त्वपूर्ण फेडरेशन (संघ) है।

(vii) उच्च सदन भिन्न-भिन्न जातियों, पंथों, धर्मों, भाषाओं तथा जातीय समूहों से बने देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाले एक तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है।

# ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था और उसे अंगीकार किया जा रहा था, उस समय संविधान निर्माताओं को दूसरे सदन के पक्ष और विरोध की सभी बातों की पूरी जानकारी थी और उन्होंने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया था कि केन्द्र में द्विसदनीय प्रणाली की व्यवस्था होगी। तथापि, राज्यों में दो सदनीय विधान-मंडलों की प्रणाली की वैकल्पिक व्यवस्था होगी। अगस्त, 1947 में सत्ता सौंपे जाने से एक दशक पूर्व तक भारत में संवैधानिक ढांचा कमजोर था जिसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत उन प्रान्तों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के सुसंगत उपबंधों पर आधारित एक केन्द्रीय ढांचे के तहत कार्य कर रहे थे। भारत में केन्द्रीय विधान-मंडल का गठन भारत सरकार अधिनियम, 1919 के उपबंधों के अनुसार किया गया था; इसमें गवर्नर जनरल और दो सदन थे, अर्थात् राज्य सभा और विधान सभा। राज्य सभा में 60 और विधान सभा में 140 सदस्य थे। 1935 के अधिनियम में भी दो सदनों वाले विधान-मंडल की परिकल्पना की गई थी। जिसमें से एक का नाम राज्य सभा था, जिसमें 260 सदस्यों की व्यवस्था थी और दूसरे सदन को विधान सभा (या संघीय सभा) कहा गया जिसके अधिकतम 375 सदस्य निश्चित किए गए। इसके अलावा इसने साम्प्रदायिक तथा वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली को सुदृढ़ बनाया। तथापि, इस अधिनियम में जिस संघीय योजना तथा विधायी संस्था की व्यवस्था 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी, वह कभी अस्तित्व में नहीं आई। दूसरे शब्दों में पूर्ववर्ती अधिनियमितियों में विधायी संस्थाओं के जिस ढांचे तथा संरचना की व्यवस्था की गई थी उसे कोई ऐसा संतोषजनक आधार नहीं मिला जिस पर नये संविधान के तहत स्वतंत्र भारत का विधान-मंडल बनाया जा सके। अत: संविधान सभा को इस मामले पर विगत सभा से किसी मार्गदर्शन के बगैर ही विचार करना पड़ा।

बहुत लोगों का मत दूसरे सदन के विरुद्ध था जो उनके मतानुसार, 'प्रगति की राह में बाधा'[1] सिद्ध हो सकता है तथा जो खर्चीला भी है। उससे कार्यक्षमता में कोई वृद्धि भी नहीं होती। इस आलोचना का उत्तर देते हुए श्री एन. गोपालस्वामी अयंगर ने बताया कि सारे विश्व में जहां-जहां भी संघीय प्रणाली है, वहां व्यावहारिक तौर पर दूसरे सदन की आवश्यकता महसूस की गई है। उन्होंने कहा[2] कि:

''आखिरकार हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या यह सदन कोई उपयोगी कार्य करता है। हम ज्यादा से ज्यादा दूसरे सदन से यह उम्मीद कर सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण मामलों पर गरिमायुक्त वाद-विवाद आयोजित करे तथा क्षणिक भावावेग के परिणामस्वरूप बनाये गये कानून को पारित करने में तब तक विलम्ब करे जब तक कि भावावेग कम न हो जाए ताकि उन उपायों पर शांति से विचार किया जा सके, जो विधान-मंडल के समक्ष लाये जायें। हम संविधान में इस बात की व्यवस्था करने का ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी किसी महत्वपूर्ण मामले और विशेष रूप से वित्त संबंधी मामले पर लोक सभा तथा राज्य सभा में मतभेद हों, तो उस अवस्था में लोक सभा का मत ही प्रधान माना जायेगा। अत:, हम इस दूसरे सदन के अस्तित्व से एक ऐसा साधन प्राप्त करते हैं जिसके द्वारा हम ऐसे किसी कार्य के मामले में विलंब करते हैं जिस पर जल्दबाजी में विचार किया गया हो तथा इस सदन द्वारा हम ऐसे अनुभवी लोगों को भी शायद एक मौका देते हैं, जो राजनैतिक दृष्टि से भले ही ज्यादा महत्व न रखते हों, लेकिन जो अन्यथा वाद-विवाद में भाग लेने के इच्छुक हों और जिनके पास ऐसा ज्ञान और अनुभव हो जो आमतौर पर लोक सभा के सदस्यों में दिखाई नहीं देता। इस दूसरे सदन के बारे में बस इतना ही प्रस्तावित है। मेरा विचार है कि कुल मिलाकर बहुमत इस पक्ष में है कि इस प्रकार का द्वितीय सदन होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह सदन विधान अथवा प्रशासन के लिए एक बाधा सिद्ध न हो।''

---

[1]प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना, संविधान सभा वाद-विवाद, खंड IV, 28.07.1947, पृ. 875

[2]वही, पृष्ठ 876

संविधान सभा 28 जुलाई, 1947 को संघीय विधान-मंडल में दो सदन अर्थात् राज्य सभा और लोक सभा रखने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई थी और इस आशय का प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा ने राज्य सभा के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं संबंधी प्रावधानों पर और इसकी शक्तियों पर 3-4 जनवरी, 18-20 तथा 23 मई और 8-9 जून, 1949 की अपनी बैठक में चर्चा की। राज्य सभा का प्रथम निर्वाचन मार्च, 1952 में हुआ और उसी वर्ष 3 अप्रैल को सभा का गठन हुआ।[3] 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' के हिन्दी नाम 'राज्य सभा' को 23 अगस्त, 1954 को स्वीकार किया गया।

[3]राज्य सभा वाद-विवाद, 23.08.1954, कॉलम 36-37

# राज्य सभा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

राज्य सभा और लोक सभा तथा भारत के राष्ट्रपति मिलकर 'भारतीय संसद्' का निर्माण करते हैं। राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 नाम-निर्देशित सदस्य भी शामिल हैं। वर्तमान राज्य सभा में सदस्यों की कुल संख्या 245 है विभिन्न राज्यों के लिए सीटों का आबंटन संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। राज्य सभा की स्थिति लोक सभा से इस मामले में भिन्न है कि समूची राज्य सभा कभी भंग नहीं की जाती, परन्तु इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति (जिनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर बने निर्वाचक-मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है) राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा अन्यथा रूप से राष्ट्रपति का कामकाज देखता है, तो राज्य सभा के सभापति का कार्य उपसभापति द्वारा किया जाता है, जिसे राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्य सभा की बैठकों का सभापतित्व करता है। सभापति और उपसभापति होने की अनुपस्थिति में सभा का सभापतित्व उपसभापति के पैनल से किसी सदस्य द्वारा किया जाता है।

कतिपय वित्तीय मामलों को छोड़कर जिनमें लोक सभा को ही विशेष अधिकार प्राप्त हैं, अन्य सभी मामलों में राज्य सभा को समान अधिकार मिले हुए हैं। धन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसे लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जायेगा और उस सदन द्वारा इसे पारित कर दिये जाने के पश्चात् ही इसे राज्य सभा में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जायेगा। लोक सभा को, राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार है। यदि कोई धन विधेयक राज्य सभा

द्वारा उसके प्राप्त हो जाने के 14 दिनों की अवधि के भीतर लोक सभा को वापस नहीं भेजा जाता तो उसे उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर दोनों सभाओं द्वारा पारित हुआ माना जायेगा। कतिपय अन्य श्रेणियों के वित्तीय विधेयकों को भी राज्य सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता; किन्तु ऐसे विधेयकों के संबंध में राज्य सभा पर और कोई पाबंदी नहीं है तथा राज्य सभा को धन विधेयक से इतर अन्य किसी विधेयक के समान वित्त विधेयक को नामंजूर करने अथवा उसमें संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु इससे यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि वित्त संबंधी किसी मामले से राज्य सभा का कुछ लेना-देना नहीं है। भारत सरकार के वार्षिक बजट को राज्य सभा के सामने भी रखना होता है तथा लोक सभा के समान राज्य सभा के सदस्यों को भी इस पर चर्चा करने का अधिकार होता है। हालांकि राज्य सभा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर मत नहीं देती–जो कि लोक सभा का एकमात्र विशेषाधिकार है–फिर भी भारत की संचित निधि में से तब तक कोई धन नहीं निकाला जा सकता, जब तक कि विनियोग विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित/लौटा न दिया जाए। इसी प्रकार, वार्षिक वित्त विधेयक भी राज्य सभा की मार्फत पारित किया जाता है।

विधायी क्षेत्र में, वित्तीय विधान को छोड़कर, राज्य सभा को विधेयक मूल रूप से पुर:स्थापित करने वाले सदन के रूप में और उनकी पुनरीक्षा करने वाले सदन के रूप में भी वास्तविक और महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों पर दोनों सदनों में असहमति होने पर उस बाबत अंतिम फैसला दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाएगा। ऐसे तीन अवसर जब दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाई गई क्रमश: दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959, बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 और आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 हैं। संविधान के तहत, संविधान में संशोधन करने के संबंध में राज्य सभा को समान अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग पारित किया जाना चाहिए और यदि किसी भी सदन में विधेयक पारित नहीं होता, तो विधेयक को पारित हुआ नहीं माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, संविधान के तहत राज्य सभा को दो विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान है कि राज्य सभा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से इस आशय का एक संकल्प पारित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में कानून बनाए। यदि ऐसा संकल्प पारित हो जाता है, तो संसद को संकल्प में विनिर्दिष्ट विषय पर भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र के लिए अथवा किसी एक भाग के लिए कानून बनाने का प्राधिकार प्राप्त हो जायेगा। ऐसा संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, जैसी कि उस में विहित की जाए, परन्तु एक और संकल्प पारित करके इस अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 312 में राज्य सभा को ऐसी एक और अनन्य शक्ति प्राप्त है, जिसके अधीन यदि राज्य सभा, सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से यह घोषणा करते हुए एक ऐसा संकल्प पारित कर दे कि संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित रूप से एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना राष्ट्र हित में आवश्यक या समीचीन है, तो संसद को विधि द्वारा ऐसी सेवाओं का सृजन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी।

राज्य सभा की एक और विशेष शक्ति आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (4) के परन्तुक में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि आपातकाल की उद्घोषणा उस समय की जाती है जबकि लोक सभा का विघटन हो चुका हो और इस उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो वह उद्घोषणा लोक सभा के पुनर्गठन के पश्चात् उसकी बैठक के प्रथम दिवस के पश्चात् अधिकतम 30 दिन तक वैधानिक रूप से प्रभावी रहेगी। किसी राज्य में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की अवस्था में राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली उद्घोषणा से संबंधित एक ऐसा ही

प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (3) के परन्तुक में भी किया गया है।

कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनकी बाबत संविधान ने संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार प्रदान किए हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों की सूची नीचे दी गई है:

(1) राष्ट्रपति के चुनाव और महाभियोग के संबंध में लोक सभा के समान अधिकार (अनुच्छेद 54 और 61);

(2) उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोक सभा के समान अधिकार (अनुच्छेद 66);

(3) संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाले और सदन की अवमानना के लिए दण्ड देने के संबंध में बनाए जाने वाले कानून की बाबत लोक सभा के समान अधिकार (अनुच्छेद 105);

(4) संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के संबंध में लोक सभा के समान अधिकार, तथा

(5) विभिन्न सांविधिक प्राधिकरणों से प्रतिवेदन और पत्र प्राप्त करने के संबंध में लोक सभा के समान अधिकार, जैसे कि:

(क) वार्षिक वित्तीय विवरण [अनुच्छेद 112(1)];

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन [अनुच्छेद 151(1)];

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन [अनुच्छेद 323(1)];

(घ) पिछड़े वर्गों की दशा का पता लगाने वाले आयोग का प्रतिवेदन [अनुच्छेद 340(3)]; और

(ङ) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी का प्रतिवेदन [अनुच्छेद 350 ख(2)]।

# राज्य सभा की भूमिका

1952 में राज्य सभा के सभापति का पद संभालते समय डॉ. एस. राधाकृष्णन ने, उनको दी गई बधाई के उत्तर में कहा था[4] कि:

> यह एक आम धारणा है कि यह सभा न तो सरकार बना सकती है और न ही उसे गिरा सकती है और इसलिए यह एक अनावश्यक निकाय है। परंतु कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें पुनर्विचार करने वाली सभा फलदायक ढंग से पूरा कर सकती है। संसद केवल विधायिका ही नहीं है वरन् चर्चा करने वाला एक निकाय भी है। जहां तक इसके चर्चा करने वाले कृत्यों का संबंध है, हमारे लिए इस बात की छूट है कि हम अति-मूल्यवान योगदान करें और वह बात हमारे इस कार्य पर निर्भर करती है कि क्या हम इस द्विसदनात्मक प्रणाली को, जो कि अब हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग बन गई है, न्यायोचित ठहराते हैं। इसलिए हमारे लिए यह एक चुनौती का विषय है। हम पहली बार नयी संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्र में दूसरे सदन का प्रारम्भ कर रहे हैं और हमें इस देश की जनता के लिए यह बात न्यायोचित ठहराने के लिए पूरी शक्ति के साथ जुट जाना चाहिए कि जल्दी में पारित किए जाने वाले कानूनों पर रोक लगाने के लिए दूसरा सदन आवश्यक है।

इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए अपने आरंभ से भारतीय सांविधानिक व्यवस्था में राज्य सभा द्वारा निभाई गई भूमिका का पुनरीक्षण किया जाये।

## राज्य सभा–एक विधायी निकाय के रूप में

1952 से लेकर 251वें सत्र की समाप्ति तक (23.03.2020 तक) राज्य सभा में 945 सरकारी विधेयक पुर:स्थापित किये गये। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संसद के विधायी कार्य का अधिकांश हिस्सा वित्तीय प्रकृति का है, एक पहलकर्ता सदन के रूप में राज्य सभा का कार्य काफी

[4] संविधान सभा वाद-विवाद, 16.05.1952, कॉलम 43

प्रभावशाली नहीं रहा है। राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयकों की विषय-वस्तु के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनमें से अनेक विधेयक अत्यधिक लोक महत्व के थे। सभी हिन्दू विधि अधिनियमितियां, कोड़े लगाने की प्रथा का समाप्त किया जाना, भ्रष्टाचार निवारण, गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन), विदेशियों के साथ विवाह संबंधी विधेयक तथा बालक विधेयक–ऐसे कुछ सामाजिक महत्व के विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित किये गये।

श्रम कल्याण के संबंध में राज्य सभा में पुर:स्थापित किये गये विधेयकों में बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) विधेयक, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) विधेयक, भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) विधेयक, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी विधेयक, 1990, व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, भारतीय बायलर (संशोधन) विधेयक, 2007, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 का उल्लेख किया जा सकता है।

व्यापार और उद्योग के संबंध में राज्य सभा में पुर:स्थापित एक और महत्वपूर्ण विधान था–एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969। इसी प्रकार, स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक थे: औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) विधेयक, 1954, गर्भ का चिकित्सीय समापन विधेयक, 1971, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) विधेयक, 2003, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग विधेयक, 2011, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख विधेयक, 2013 और मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014। सुरक्षा एवं सशस्त्र बलों से संबंधित विधेयक थे: सशस्त्र सीमा बल, 2007 और सशस्त्र वन अधिकरण विधेयक, 2007।

शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विधेयक थे: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी

विधेयक, त्रिपुरा विश्वविद्यालय (2006), राजीव गांधी विश्वविद्यालय (2006), सिक्किम विश्वविद्यालय (2006), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (2007), राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (2007), जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (2008), भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (2008), केन्द्रीय विश्वविद्यालय (2009), दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (2008), बालकों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (2009), नालन्दा विश्वविद्यालय (2010), उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान (2011), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (2013), रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (2014) और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (2016)।

राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए अन्य महत्वपूर्ण विधेयक हैं: ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008, सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2008, सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2008, विधिक माप विज्ञान विधेयक, 2009, भारत का राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक, 2011, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिबंध) (संशोधन) विधेयक, 2012, प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2013, विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2013, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013, नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2013, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन विधेयक, 2013, न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2013, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013, भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013, नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014, वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014, अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) विधेयक, 2014, यानहरण निवारण विधेयक, 2014, सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2016, प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019।

पुनरीक्षण सदन के रूप में राज्य सभा ने अनेक विधेयकों का पुनरीक्षण किया है। पुनरीक्षित विधेयकों में महत्वपूर्ण विधेयकों के नाम हैं–आयकर (संशोधन) विधेयक, 1961 और राष्ट्रीय सम्मान विधेयक, 1971, जिनमें राज्य सभा द्वारा सुझाये गये कुछ सारभूत संशोधनों को लोक सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। दहेज प्रतिषेध विधेयक, ऐसा ही एक अन्य विधेयक है जिसमें राज्य सभा द्वारा अपने संशोधनों पर जोर दिए जाने के कारण दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी थी और उस संयुक्त बैठक में राज्य सभा द्वारा सुझाये गये संशोधनों में से एक संशोधन मत-विभाजन के बिना ही स्वीकार कर लिया गया। शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) विधेयक, 1976 के आठ खंडों और अनुसूची में संशोधन किया गया। संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1977 और दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक, 1977 में कई सारभूत संशोधन राज्य सभा द्वारा मत-विभाजन के जरिये स्वीकृत किये गये। विशेष न्यायालय विधेयक में राज्य सभा ने मुख्य पुनरीक्षण भूमिका निभाते हुए 21 मार्च, 1979 को विधेयक में दूरगामी महत्व के दो महत्वपूर्ण संशोधन किए। इसी प्रकार दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 1986, गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन विधेयक, 1987, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, 1988, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (कर्मचारियों की सेवा-शर्तों का अवधारण) विधेयक, 1988, जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1990, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1990, दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1990, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1991, अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1992 और पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक, 1993, बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 और मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 एवं भारतीय विश्व मामले परिषद् विधेयक, 2001, आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002, परिसीमन विधेयक, 2002, हज समिति विधेयक, 2002, बहु-राज्यीय सहकारी समिति विधेयक, 2002, राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक, 2003, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 2003, विद्युत विधेयक, 2003, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2003, चार्टर्ड एकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005, लागत और संकर्म लेखपाल (संशोधन) विधेयक, 2005 और कम्पनी सचिव संशोधन विधेयक, 2005, विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2005, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2009, वैज्ञानिक और नवीकृत

अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2013, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2013, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013, परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015, विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2016 शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 2016, निरसन और संशोधन विधेयक, 2016, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019 तथा मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 को भी विगत में राज्य सभा द्वारा संशोधित किया गया था।

इसके अलावा, संशोधन विधान-मंडल के रूप में हाल के वर्षों में राज्य सभा ने महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रवर समिति को भेजा है प्रवर समिति को भेजे गए कुछ विधेयक थे: मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017, माल और सेवा कर से संबंधित संविधान (एक सौ बाइसवां) संशोधन विधेयक, 2017, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित संविधान (एक सौ तेईसवां) संशोधन, विधेयक, 2017, बीमा विधि (संशोधन), विधेयक, 2008, भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015, शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2018 तथा सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि संविधान के अधीन संविधान में संशोधन के लिए दोनों सदनों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक का संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग रूप में पारित किया जाना आवश्यक है और दोनों सदनों के बीच असहमति हो जाने पर उसे हल करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सभा में पुर:स्थापित कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक निम्नानुसार हैं:

- संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1967, जिसका उद्देश्य आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को एक भाषा के रूप में सम्मिलित करना था।
- संविधान (उनसठवां संशोधन) विधेयक, 1988 । यह विधेयक पंजाब में आपातकाल लगाये जाने से संबंधित था।

– संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 । इस विधेयक के द्वारा विधान-मंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए 26 जनवरी, 1990 से 10 वर्ष की और अवधि के लिए आरक्षण जारी रखने हेतु संविधान के अनुच्छेद 334 का संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

– संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 । इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में संघ राज्य क्षेत्रों के विधान-मंडलों के विधायकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था।

– संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1994 । यह विधेयक विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए था।

– संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक 1994 । इसकी सहायता से संविधान की नौवीं अनुसूची के अंतर्गत सुसंगत तमिलनाडु अधिनियम को शामिल कर तमिलनाडु में 69% आरक्षण को जारी रखा जा सका।

– संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 । इस विधेयक का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना था।

– संविधान (अट्ठासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 । इससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हेतु अर्हक अंकों तथा अन्य मापदंडों को शिथिल किए जाने की अनुमति मिली।

– संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008 । यह लोक सभा में तथा राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के आरक्षण का उपबंध करता है।

– संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 । यह विधेयक

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण तथा लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की अवधि को 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने के लिए था।

– संविधान (एक सौ सत्रहवां संशोधन) विधेयक, 2012 । इसमें पूर्व-व्यापी प्रभाव अर्थात् 17 जून, 1995 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बाधा-रहित आरक्षण के प्रावधान का उपबंध है।

– संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 । भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच किए गए करार और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा राज्य क्षेत्रों का अर्जन और कतिपय राज्य क्षेत्रों का बांग्लादेश को अंतरण करने का उपबंध करता है।

– संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 । इस विधेयक में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग के गठन का उपबंध है।

– संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 । यह संविधान के अनुच्छेद 280 को संशोधित करने के लिए था ताकि वित्त आयोग छठी अनुसूची में स्वशासी परिषदों, ग्राम परिषदों और नगर परिषदों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्यों की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश कर सके और संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन किया जा सके।

निम्नलिखित अवसरों पर राज्य सभा ने अपनी संवैधानिक शक्ति को दृढ़ता से बरकरार रखा।

प्रिवी पर्स को समाप्त करने के उद्देश्यों से लाया गया संविधान (चौबीसवां

संशोधन) विधेयक, 1970 यद्यपि लोक सभा में बहुमत से पारित किया गया था, परंतु केवल एक वोट से राज्य सभा में पारित नहीं हो सका और परिणामस्वरूप उक्त विधेयक पारित नहीं हो सका। लोक सभा द्वारा यथा पारित संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1978 में से राज्य सभा ने पांच महत्वपूर्ण खण्ड हटा दिये थे और बाद में लोक सभा, राज्य सभा द्वारा किये गये इन संशोधनों से सहमत हो गयी थी। यह संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1978 बन गया। इसी प्रकार, संविधान (चौसठवां संशोधन) विधेयक, 1989 और संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1989, जो लोक सभा द्वारा पारित कर दिए गये थे राज्य सभा में पारित नहीं हो सके। उन विधेयकों में क्रमशः ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को और अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 के मामले में, राज्य सभा ने यद्यपि विधेयक के खंड 3 का संशोधन करने के लिए मत दिया परन्तु उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई के अपेक्षित बहुमत के साथ संशोधित खंड शामिल नहीं किया जा सका। यथा संशोधित विधेयक लोक सभा को लौटाया गया। तथापि खंड 3 को बहाल करने के साथ-साथ विकल्पी तथा अन्य संशोधनों को राज्य सभा ने मान लिया। यह संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 बना।

## कार्यपालिका के कार्य की संवीक्षा करने अथवा लोक शिकायतों को अभिव्यक्ति देने में राज्य सभा की भूमिका

जनता की समस्याओं और जनता के मामलों को उठाने के मामलों में राज्य सभा किस प्रकार की प्रभावी और निश्चयात्मक भूमिका अदा करती है, इसे किसी भी दिन 'प्रश्नों के समय' के दौरान सरकार की कुछ नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में सभा की कार्यवाही से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रश्नों के माध्यम से जनता के दिलो-दिमाग को आंदोलित करने वाले महत्वपूर्ण मामले उठाये जाते हैं। इसका उपयोग न केवल सूचना प्राप्त करने तथा जनता को शिकायतों की अभिव्यक्ति देने बल्कि सरकार को कार्यपालिका की त्रुटियों को स्वीकार करने अथवा उनकी जांच कराने पर बाध्य करने के

लिए भी किया गया है। सभा सरकार से कई महत्वपूर्ण आश्वासन और नीति संबंधी वक्तव्य प्राप्त करने में सक्षम रही है। उदाहरण के तौर पर, मुख्यमंत्रियों/राज्यों के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले, जयन्ती शिपिंग कम्पनी को दिए गए ऋणों, जीवन बीमा निगम के कुछ सौदों, कुछ व्यापारिक घरानों की गतिविधियों आदि जैसे मामलों का 'प्रश्न काल' के दौरान राज्य सभा में खुलासा हुआ था। कुछ मामलों में प्रश्न पूछने का परिणाम यह निकला कि सरकार की कुछ नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में आयोग/जांच न्यायालय नियुक्त किए गए। तुलमोहन राम लाइसेंस घोटाले को सर्वप्रथम राज्य सभा में 'प्रश्न काल' के दौरान उठाया गया था। राज्य सभा के कार्यकरण में 'प्रश्न काल' की भूमिका नि:संदेह बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। प्रतिदिन 15 तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए गृहीत किए जाते हैं जिन पर अधिकतम 5 अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा, 160 प्रश्न प्रतिदिन लिखित उत्तर के लिए सूचीबद्ध किए जाते है।

एक अन्य प्रक्रियागत तरीका जो लोकप्रिय और उद्देश्यपूर्ण बन गया है, वह है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव के प्रावधान के अभाव में इसी का सर्वोत्तम उपयोग करने के राज्य सभा के सदस्यों के संयुक्त प्रयासों से इस प्रक्रिया का महत्व यहां स्पष्ट रूप से बढ़ गया है। ध्यानाकर्षण के विषय पर प्रत्येक दल से एक-एक सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित करने की प्रथा के कारण चर्चा सरकार से वक्तव्य प्राप्त करने का एक तरीका मात्र न होकर राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार दर्ज कराने का एक अवसर बन जाती है। उदाहरण के लिये दिसंबर, 1983 में सभा में कुछ राज्यों में अध्यादेशों को पुन: प्रख्यापित किये जाने के संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की गयी थी। इससे सभा को इस महत्वपूर्ण विषय के संवैधानिक पहलू पर चर्चा करने का अच्छा अवसर मिला। इसके अलावा नवंबर, 1985 में राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा पारित तथा संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयकों को स्वीकृति देने में होने वाले विलंब के संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था। इन दोनों विषयों पर राज्य सभा में पहली बार चर्चा हुई और उनमें अंतर्ग्रस्त संवैधानिक मुद्दों को उद्‌भाषित किया गया।

अभी हाल में, राज्य सभा ने कुछेक अति महत्वपूर्ण मामलों यथा गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के कार्यकरण में अनियमितताएं, उत्तर-पूर्वी राज्यों से छात्रों से किया गया भेदभाव और तस्लीम टिप्पणियों; संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों की हड़ताल अफवाहें और झूठी खबरें फैलाने के लिए, जिनके कारण देश में हिंसा और पीट-पीट कर मार डालने की घटनाओं में वृद्धि हुई, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का दुरुपयोग, देश में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों आदि पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से विचार किया था।

'विशेष उल्लेख' का प्रक्रियागत तरीका अब राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में जुलाई, 2000 से नियम 180क से नियम 180ङ के अधीन सम्मिलित किया गया है, यह सदस्यों के लिए अविलंबनीय लोक महत्व के ऐसे विषयों को प्रकाश में या सभा और सरकार की जानकारी में लाने का एक सुविधाजनक साधन है। इससे सदस्यों को 250 शब्दों या उससे कम के पूर्व-अनुमोदित पाठ के माध्यम से ऐसे मामले उठाने का अवसर सुलभ होता है। इसका अतिरिक्त लाभ यह है कि सदस्य अपने विशेष उल्लेखों का लिखित उत्तर संबंधित मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से पाते हैं।

इनके अतिरिक्त 'अल्पकालिक चर्चा', 'आधे घंटे की चर्चा', 'प्रस्ताव' आदि जैसे कुछ ऐसे सुस्थापित प्रक्रियात्मक तरीके हैं, जिनका प्रयोग राज्य सभा में समय-समय पर लोक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाता है। सदस्य अत्यावश्यक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के अधीन नियमों के निलम्बन की मांग भी कर सकता है। यद्यपि आमतौर पर सभापीठ सदस्यों को नियम 267 को निलंबित किए बिना किसी अन्य नियम के अधीन चर्चा की मांग करने की सलाह देता है परिपाटी के अनुसार, सदस्य सभापीठ की अनुमति से लोक महत्व के हाल के और तात्कालिक मामलों को भी ऐसे 15 मामलों की अधिकतम सीमा के अधीन उठा सकते हैं (शून्य काल के अनुरोध)। किसी सदस्य को तीन मिनट के भीतर अपना अनुरोध करना होता है। लोक महत्व के मुद्दों को उठाने में सदस्यों द्वारा इन संसदीय तरीकों के ईष्टतम उपयोग से राज्य सभा द्वारा अपने विचार-विमर्श

संबंधी कृत्यों को पूरा करने, कार्यपालिका के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने, प्रशासन का पर्यवेक्षण करने, लोक शिकायतों को अभिव्यक्त करने तथा लोक इच्छा को प्रतिबिम्बित करने के लिए किया गया है।

## राज्य सभा–विचार-विमर्श करने वाले सदन के रूप में

ब्राइस सम्मेलन में यह कहा गया है कि यह अधिक उपयोगी होगा, यदि महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा ऐसे सदन में की जाये जहां इस प्रकार के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप सरकार के गिरने की आशंका न हो। श्री एन. गोपालस्वामी अय्यंगर, जो संविधान निर्माताओं में से एक थे, ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा था कि ''आप संभवत: द्वितीय सदन से अधिक से अधिक इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण मामलों पर गरिमायुक्त रीति से विचार-विमर्श करे''।[5] आमतौर पर राज्य सभा में की गयी बहस का स्तर, काफी ऊंचा होता है यद्यपि राज्य सभा अनुदान की मांगों की मंजूरी नहीं देती, तो भी इस संबंध में 1970 से एक नई प्रथा शुरू की गयी है और वह यह कि हर साल कुछ मंत्रालयों का चयन करके उनके कार्यकरण पर चर्चा करना। चूंकि, इस प्रकार से मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा करने में सरकार को कोई जोखिम नहीं रहता, इसलिये इस चर्चा का स्वरूप, इसकी प्रकृति तथा इसका प्रभाव उस चर्चा से काफी भिन्न होता है, जो लोक सभा में होती है। यहां पर जो भी चर्चा होती है, वह सर्वांगपूर्ण, तटस्थ और निष्पक्ष होती है। अपनी सुविज्ञ बहसों के जरिये राज्य सभा ने हमारे संसदीय प्रजातंत्र की शान को बढ़ाया है। अत:, यह कहना सही है कि राज्य सभा अपने लिए विशिष्ट भूमिका विकसित करने में सफल रही है।

## राज्य सभा–संघीय सदन के रूप में

उन 12 सदस्यों को छोड़कर, जिन्हें राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव को देखते हुए नाम-निर्देशन करते हैं, शेष सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से करते हैं। नाम-निर्देशन के लिए उक्त चार अभिज्ञात क्षेत्र

[5]संविधान सभा वाद-विवाद, खंड-IV, 28.07.1947, पृष्ठ. 876

सीमित प्रतीत होते हैं परन्तु व्यवहार में यह किसी भी क्षेत्र से प्रतिभाओं को शामिल करने के लिए व्यापक और विविध हैं। श्री सचिन रमेश तेंदुलकर, श्रीमती एम.सी. मेरी कॉम आदि जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों का नाम-निर्देशन संवैधानिक उपबंधों की लोचशीलता को परिवर्धित करता है। यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिये समान स्थानों का प्रावधान नहीं है तथापि राज्य सभा को आमतौर पर संघ के घटक राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन माना जाता है।

राज्य सभा को राज्यों से संबंधित विषयों के संबंध में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये विभिन्न संकल्प पारित करने से संबंधित होती हैं ताकि, (i) संसद पूरे भारत के लिये या उसके किसी एक भाग के लिये किसी 'राज्य विषय' पर कानून बना सके (अनुच्छेद 249); (ii) संसद कानून द्वारा किसी अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सके (अनुच्छेद 312); तथा (iii) लोक सभा के भंग होने की दशा में, अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन जारी की गयी उद्घोषणा की अवधि को और आगे बढ़ाया जा सके।

अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, अनन्तिम संसद ने 1950 में एक संकल्प पारित किया और 1951 में एक और संकल्प पारित करके उसे आगे जारी रखा। इस संकल्प में इन विषयों के बारे में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गयी थी: (i) राज्य के भीतर व्यापार तथा वाणिज्य, और (ii) माल का उत्पादन, पूर्ति तथा वितरण। तद्नुसार, संसद ने माल पूर्ति और कीमत अधिनियम, 1950 बनाया। इसे आगे जारी रखने के लिये, राज्य सभा ने (जो उस समय तक संविधान के अंतर्गत अस्तित्व में आ चुकी थी) जुलाई, 1952 में एक संकल्प पारित किया। राज्य सभा के गठन के बाद पहली बार अगस्त, 1986 में अनुच्छेद 249 के अंतर्गत विशेष बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित किया गया, जिसमें पंजाब में आतंकवाद से निपटने के लिये संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद को विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है, यदि राज्य सभा आवश्यक संकल्प पारित करती है। राज्य सभा

ने 1961 और 1965 में पारित संकल्पों के आधार पर भारतीय अभियंता सेवा, भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा का सृजन किया।[6] जहां तक राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य के संबंध में उद्घोषणा की अवधि को आगे बढ़ाने का प्रश्न है, 28 फरवरी और 1 मार्च, 1977 को राज्य सभा का दो दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया, ताकि नागालैंड और तमिलनाडु की बाबत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को आगे जारी रखने का अनुमोदन किया जा सके, क्योंकि लोक सभा इससे पहले ही भंग हो चुकी थी। लोक सभा भंग होने के कारण राज्य सभा का एक सत्र हरियाणा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 357 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को अनुमोदित करने के लिए 3-4 जून, 1991 को पुनः बुलाया गया था।

[6]राज्य सभा वाद-विवाद, दिनांक 6.12.61, कॉलम 1280-1305 तथा 30.3.65, कॉलम 5010-91

# राज्य सभा के सभापति तथा कुछ अन्य प्रमुख गण्यमान्य व्यक्ति

इन सब में बड़ी बात यह है कि इन वर्षों में राज्य सभा का यह सौभाग्य रहा है कि इसके जो भी सभापति हुए वे सब के सब लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्ति थे। राज्य सभा के पहले सभापति डॉ. एस. राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विश्व-विख्यात राजनेता थे। उनके बाद डॉ. जाकिर हुसैन आए जो एक शिक्षाशास्त्री, लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान तथा महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। डॉ. जाकिर हुसैन 1956 में पहली बार सभा के लिए नाम-निर्देशित हुए। वह सभा के ऐसे एक मात्र सदस्य थे जो इसके सभापति (1962-67) बने। राज्य सभा के तीसरे सभापति, श्री वी.वी. गिरि एक प्रसिद्ध मजदूर नेता थे, वह एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनका दृष्टिकोण समाजवादी था और वह आम आदमी के सच्चे प्रतिनिधि थे। सभा के पहले तीन सभापतियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजा गया। डॉ. गोपाल स्वरूप पाठक जिन्होंने श्री गिरि के बाद पद ग्रहण किया, सुविख्यात कानूनविद् थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश (1945-46) भी रहे थे। उनके बाद श्री बी. डी. जत्ती राज्य सभा के सभापति बने, वह एक विशिष्ट समाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। श्री एम. हिदायतुल्ला छठे सभापति थे, जो सुविख्यात विधिवेत्ता थे और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। एक योग्य और अनुभवी प्रशासक, श्री आर. वेंकटरमण, राज्य सभा के सातवें सभापति थे। डॉ. शंकर दयाल शर्मा, एक ख्यातिप्राप्त विद्वान तथा योग्य प्रशासक थे, वे राज्य सभा के आठवें सभापति थे। पेशे से एक राजनयिक और एक प्रसिद्ध विद्वान, श्री के.आर. नारायणन, राज्य सभा के नौवें सभापति थे। श्री कृष्णकांत जो एक स्वतंत्रता सेनानी और उर्वर लेखक थे, राज्य सभा के दसवें सभापति थे। व्यापक विधायी और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले राज्य सभा के ग्यारहवें सभापति श्री भैरों सिंह शेखावत एक कृषक थे, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी एक प्रतिष्ठित कूटनीतिज्ञ, ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् और अल्पसंख्यकों के हित

के उत्कट समर्थक बारहवें सभापति थे। डॉ. राधाकृष्णन के बाद वह ऐसे दूसरे सभापति थे जो दो लगातार कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। तेरहवें सभापति श्री एम. वैंकैया नायडु राज्य सभा के ऐसे पहले वर्तमान सदस्य हैं, जो इसके सभापति बने। वह प्रतिष्ठित प्रशासक, सांसद और राजनीतिक कार्यकर्ता है जिन्हें सार्वजनिक जीवन का व्यापक अनुभव है।

इन सभी महानुभावों ने अपने चरित्र तथा व्यक्तित्व में दृढ़ता, निष्पक्षता और नम्यता का विवेकसम्मत मेल करते हुए सभा की कार्यवाही संचालित करके सभा को विशेष गरिमा प्रदान की। इन्होंने सभा के स्तर को आगे बढ़ाया और भारत की संसदीय प्रणाली में अपनी संवैधानिक भूमिका निभाने में राज्य सभा की सहायता की।

संविधान के अनुच्छेद 80 में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से सभा के लिए 12 सदस्यों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था है। विचार-विमर्श के उन्नत स्तर तथा सभा के गरिमापूर्ण चरित्र को बनाये रखने में इसका भारी योगदान रहा है, कि राज्य सभा में सदस्य के रूप में कुछ ऐसे व्यक्ति आए हैं, जिन्हें राष्ट्रीय गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ख्याति प्राप्त थी। उन्होंने इस सभा को और अधिक मजबूत बनाया है तथा इसे महिमा प्रदान की है। विश्व के किसी भी सदन के लिए डॉ. जाकिर हुसैन, प्रो. सत्येंद्र नाथ बोस, श्रीमती रूक्मणि देवी अरूण्डेल, श्री काकासाहेब कालेलकर, श्री मैथिलीशरण गुप्त, डा. राधा कुमुद मुखर्जी, डा. हरिवंश राय बच्चन, श्री पृथ्वीराज कपूर, सरदार के.एम. पणिक्कर, डॉ. सालिम अली तथा ऐसे ही कई अन्य लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्तियों का सदस्य होना गर्व की बात हो सकती है। बाद में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति इस विशिष्ट सभा के सदस्य बने, वे हैं विख्यात चित्रकार श्री एम.एफ. हुसैन, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितारवादक पं. रवि शंकर, उपन्यासकार श्री आर.के. नारायण, कवयित्री श्रीमती अमृता प्रीतम, सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त श्रीमती इला रमेश भट्ट, विख्यात अभिनेत्री श्रीमती नरगिस दत्त, सुप्रसिद्ध नृत्यांगना तथा अनुभवी

फिल्मी कलाकार श्रीमती वैजयंतीमाला बाली, परमाणु वैज्ञानिक डा. राजा रमण्णा, मशहूर फिल्म कलाकार और सामाजिक कार्यकर्त्री श्रीमती शबाना आज़मी, प्रसिद्ध तेलुगु कवि डॉ. सी. नारायण रेड्डी, विख्यात शिक्षाशास्त्री प्रो. रशीदुद्दीन खान, प्रख्यात लेखक श्री खुशवंत सिंह, जाने-माने पत्रकार, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्त्ता श्री कुलदीप नैयर, लब्ध-प्रतिष्ठ फिल्म निर्माता श्री मृणाल सेन, प्रख्यात गायिका सुश्री लता मंगेश्कर, प्रसिद्ध वकील श्री फाली एस. नारीमन, मशहूर पत्रकार श्री चो एस. रामास्वामी, जाने-माने सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री नाना देशमुख, वैज्ञानिक, प्रोद्योगिकीविद, डॉ. के. कस्तूरीरंगन, अर्थशास्त्री श्री विमल जालान, सुविदित लेखक श्री विद्या निवास मिश्र, मशहूर पत्रकार डॉ. चंदन मित्रा, समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता कुमारी निर्मला देशपांडे, लोकप्रिय फिल्मी हस्ती श्रीमती हेमा मालिनी, सिने अभिनेता श्री दारा सिंह, प्रसिद्ध प्रशासक श्री वी.टी. कृष्णमाचारी, प्रतिष्ठित इतिहासकार व राजनेता प्रो. एस. नूरुल हसन, प्रसिद्ध सिविल सर्वेंट और संसदीय पद्धति तथा प्रक्रियाओं में विशेषज्ञ श्री एम.एन.कौल, विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नारायण सिंह मानकलाव, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता/निर्देशक श्री श्याम बेनेगल, प्रख्यात वकील/अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी, प्रख्यात शिक्षाविद्/लेखक डॉ॰ (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन, प्रतिष्ठित प्रकाशक श्रीमती शोभना भरतिया, कृषि वैज्ञानिक प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन, अर्थशास्त्री डा. सी. रंगराजन, जाने-माने पत्रकार श्री एच. के. दुआ, कॉरपोरेट प्रबंधक डॉ. अशोक एस. गांगुली, सामाजिक कार्यकर्त्ता और अर्थशास्त्री डॉ. भालचन्द्र मुंगेकर, प्रख्यात क्रिकेट खिलाड़ी श्री सचिन रमेश तेन्दुलकर, जानी-मानी फिल्म कलाकार सुश्री रेखा, राजनयिक, पत्रकार/लेखक और राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्री मणिशंकर अय्यर, जाने-माने पटकथा लेखक, गीतकार और कवि श्री जावेद अख्तर, कलाकार/निर्देशक श्रीमती बी. जयश्री, शिक्षक और शिक्षाविद् प्रो. मृणाल मिरि, एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री अनु आगा, भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.टी.एस. तुलसी, विख्यात वकील/अधिवक्ता श्री के. पारासरन, प्रख्यात पत्रकार और लेखक श्री स्वप्न दासगुप्ता, जाने-माने अर्थशास्त्री, लेखक और शिक्षाविद् डा. नरेन्द्र जाधव, प्रख्यात खिलाड़ी श्रीमती एम.सी. मेरी कॉम, जाने-माने क्रिकेट खिलाड़ी और प्रसिद्ध हस्ती श्री नवजोत सिंह सिद्धू, अनुभवी फिल्म कलाकार श्री सुरेश गोपी, विख्यात शिक्षक,

शिक्षाविद्, अर्थशास्त्री डा. सुब्रमण्यम स्वामी, विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता श्री संभाजी छत्रपति, एक सिद्ध कलाकार श्रीमती रूपा गांगुली, सुप्रसिद्ध सार्वजनिक हस्ती तथा कृषक नेता श्री राम शकल, प्रसिद्ध लेखक, स्तंभकार और शिक्षाविद श्री राकेश सिन्हा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रख्यात प्रतिपादक, सुप्रसिद्ध नृत्य निर्देशिका तथा सामाजिक कार्यकर्ता डा. सोनल मानसिंह, प्रस्तर नक्काशी-कला के ख्यातिलब्ध विशेषज्ञ डा. रघुनाथ महापात्र तथा विधि विशेषज्ञ तथा भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश श्री रंजन गोगोई। इतने अनुभवी तथा विज्ञ व्यक्तियों की उपस्थिति ने राज्य सभा को एक ऐसी संस्था बना दिया है, जिसकी ओर सम्मान तथा आशा की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए।

# दोनों सदनों के बीच संबंध

भारतीय संवैधानिक साहित्य में राज्य सभा को द्वितीय सदन माना जाता है। किंतु राज्य सभा की भूमिका दूसरे दर्जे की नहीं होती न ही यह दूसरे सदन की प्रतिकृति होती है। कुछ मौकों पर मतभेदों को छोड़कर दोनों सदनों के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। दोनों ही सदनों का अपना-अपना अलग व्यक्तित्व तथा अपनी पहचान विकसित हुई है, फिर भी दोनों टकराव के बजाय सहयोग तथा अवरोध के बजाय सामंजस्य से कार्य करते रहे हैं। उन्होंने श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित निम्न आदर्श का पूर्णरूपेण पालन किया है:[7]

> ''हमारा मार्गदर्शक हमारा अपना संविधान होना चाहिए, जिसमें राज्य सभा तथा लोक सभा के कार्यों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। इनमें से किसी को भी उच्च सदन या निम्न सदन कहा जाना ठीक नहीं है। प्रत्येक सदन को संविधान की सीमाओं में अपनी प्रक्रिया के अनुपालन का पूरा-पूरा अधिकार है। कोई भी सभा अपने आप में संसद नहीं है। ये दोनों सभाएं मिलकर भारत की संसद हैं...संविधान में दोनों सभाओं को, वित्तीय मामलों को छोड़कर जो कि लोक सभा का कार्यक्षेत्र है, एक-समान माना गया है।''

संवैधानिक उपबंधों के अलावा प्रक्रिया संबंधी नियम भी दोनों सदनों के बीच स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में योगदान करते हैं। इन नियमों का उद्देश्य पारस्परिक संयम द्वारा सदनों की कार्यवाही की पवित्रता और गरिमा का परीक्षण करना तथा प्रत्येक सदन की स्वतंत्रता का सम्मान करना और उसे मान्यता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त एक ऐसा अंतर्निहित तंत्र भी है, जो आंशिक रूप से संविधान के आधार पर तथा आंशिक रूप से वर्षों चलीं परिपाटियों और परंपराओं के माध्यम से विकसित हुआ है तथा जो दोनों सदनों के बीच मधुर संबंध का निर्माण और विनियमन करता है।

[7]राज्य सभा वाद विवाद, 06.05.1953, कॉलम 5038-39

# समापन टिप्पणियां

वास्तव में राज्य सभा विश्व में कुछ सक्रिय उच्च सदनों में से एक है। विधायी सदन के रूप में इसने अपनी संशोधनात्मक भूमिका भलीभांति निभायी है। काम का दबाव होने के बावजूद राज्य सभा ने राष्ट्रीय तथा सामान्य लोक हित की लगातार रक्षा की है। इससे समय-समय पर यह ओजस्वी वाद-विवाद से परिपूर्ण सर्वाधिक जीवंत सभा बन जाती है। हालांकि राज्य सभा सरकार को बनाने अथवा उसे बनाए रखने की शक्ति से वंचित है फिर भी विभिन्न अवसरों पर इसने अपने नैतिक साहस तथा सामूहिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और कुप्रबंध का पर्दाफाश करते हुए कार्यपालिका को जवाबदेह बनाया। सभा की कार्यवाही में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलेंगे जब सार्वजनिक जीवन तथा जनसाधारण के कल्याण से संबंधित मामलों में राज्य सभा ने अदम्य इच्छा-शक्ति तथा दखल देने की पर्याप्त शक्ति का प्रदर्शन किया है। इसने कम विशेषाधिकार प्राप्त, दलित तथा वंचित लोगों की निरंतर भरपूर चिंता व्यक्त की है। इसने तत्काल लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों जैसे अपने संसदीय साधनों का भरपूर प्रयोग किया है।

राज्य सभा द्वारा उसके आरंभ से हासिल की गई उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन करना बहुत कठिन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सभा ने एक विधायी सदन के रूप में अपना एक सशक्त तथा निराला व्यक्तित्व विकसित कर लिया है। विचार-विमर्श की सभा के रूप में इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के संबंध में सार्वजनिक वाद-विवाद में योगदान दिया है। राष्ट्र की एक शीर्षस्थ संसदीय संस्था के रूप में इसने राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की भावनाओं को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। अपनी चर्चाओं और निर्णयों से राज्य सभा ने हमारे देश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में तथा संसदीय लोकतंत्र में उनके विश्वास को दृढ़ करने में योगदान दिया है।

# चुनिंदा संदर्भ-ग्रंथ सूची


1. बनर्जी, बी.एन.: 'द पोजीशन ऑफ द राज्य सभा इन द इंडियन कांस्टीट्यूशन इन द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स', शकधर, एस.एल., लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा सम्पादित, 1975

2. 'द कांस्टीट्यूशन एंड द पार्लियामेंट इन इंडिया-दी ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ द रिपब्लिक', शकधर, एस.एल., लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा सम्पादित, 1976

3. भालेराव, एस.एस., 'द सेकेंड चैम्बर–इट्स रोल इन मॉडर्न लेजिस्लेचर: दी ट्वेन्टी फाइव ईयर्स ऑफ राज्य सभा', राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 1977

4. मुखर्जी, एस.एन.: 'द रोल ऑफ सेकेंड चैम्बर इन द इंडियन पार्लियामेंट, इन फर्स्ट पार्लियामेंट (1952-57)–ए सोविनियर' लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली

5. रमादेवी, वी.एस. और गुजर, बी.जी.: 'कार्यरत राज्य सभा', राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2017

6. पचौरी, पी.एस.: 'डेमोक्रेसी एंड द सेकेंड चैम्बर', इंस्टीट्यूट ऑफ कांस्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली, 1985

7. ''रिपोर्ट ऑफ द स्टडी ग्रुप ऑन द रोल ऑफ सेकेंड चैम्बर'' 'पार्लियामेंटेरियन', कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन, अक्तूबर, 1982

8. राव, बी. शिवा: 'दि फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशन–ए स्टडी', सुभाष सी. कश्यप द्वारा संशोधन, अद्यतन तथा संपादन, दूसरा संस्करण; (संघीय संसद के संबंध में अध्याय 13), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, 2004

9. श्रीवास्तव, सीता: 'कांस्टीट्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ राज्य सभा', चुग पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 1979

10. भारत का संविधान (1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार) विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, 2019

11. त्रिखा, एन.के.: 'सेकेंड चैम्बर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट', एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1984

12. त्रिपाठी, आर.सी.: 'इमर्जेन्स ऑफ सेकेंड चैम्बर इन इंडिया', राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2002